"मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना"

संभावित प्रश्न:

1. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है?

झारखण्ड सरकार ने सभी लघु और सीमांत भूमिधारी किसान परिवारों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू और कृषि संबंधी उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं आय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, लक्षित लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण के लिए संपूर्ण वित्तीय दायित्व झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

2. योजना के लाभ क्या हैं?

योजना के तहत, 5 एकड तक की कुल खेती योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति एकड 5,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष खरीफ फसल के शुरुवात में प्रदान की जाएगा। यह योजना वित्तयी वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगी ।

3. योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

5 एकड तक खेती करने वाले सभी भूमिधारी किसान परिवारों, जिनके नाम **01.02.2019** तक राज्य के भूमि रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, इनमें से, लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अयोग्य हैं:

(ए) सभी संस्थागत भूमि धारकों; तथा

(बी) किसान परिवार जिनमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियां हैं: -

i. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

ii. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी) / ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) सभी वयोवृद्ध / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु 10,000 / - से अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)

iii. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति

iv. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।

4. एक वर्ष में कितनी बार लाभ दिया जाएगा?

प्रत्येक वर्ष खरीफ फसल की खेती के समय झारखण्ड सरकार द्वारा 5 एकड तक की कुल खेती योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति एकड 5,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष देय होगा ।

5. क्या केंद्र / राज्य सरकार / PSU / स्वायत्त संगठन आदि का कोई कर्मचारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है?

केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सेवा या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं। हालाँकि, सेवारत या सेवानिवृत्त मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है बशर्ते उनके परिवार अन्यथा पात्र हों और अन्य बहिष्करण (exclusion) की शर्त के तहत कवर नहीं हों।

6. क्या कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार जिसके पास 5 एकड से अधिक खेती योग्य भूमि है उनको योजना के तहत कोई लाभ मिलता है?

कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार जिसके पास 5 एकड से अधिक खेती योग्य भूमि है उन्हें योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

7. यदि लाभार्थी योजना के कार्यान्वयन के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?

गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्यों की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा।

8. योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए कट ऑफ तिथि क्या है?

योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 01.02.2019 होगी और इसके बाद भूमिधारक की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकार पर भूमि के हस्तांतरण मामलों को छोड़कर अगले 5 वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए कोई बदलाव नहीं माना जाएगा।

9. क्या योजना के लाभ की अनुमति उन मामलों में दी जाएगी जहां खेती योग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण भूस्वामी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के कारण होता है?

हाँ। ऐसे सभी मामलों में योजना लाभ की अनुमति दी जाएगी जहां खेती योग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण भूस्वामी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के कारण हुआ है।

10. क्या एक आयकर दाता किसान या उसका पति या पत्नी योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है?

नहीं, यदि परिवार का कोई भी सदस्य पिछले आकलन वर्ष में आयकर दाता है, तो परिवार योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।

11. लघु और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार की परिभाषा क्या है?

एक लघु और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार को "पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर (5 एकड) तक सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि के मालिक हैं"। मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग भुगतान की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा।

12. क्या कोई व्यक्ति / किसान, जिसके नाम पर जमीन नहीं है, योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र है?

नहीं। आय समर्थन योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि होल्डिंग एकमात्र मापदंड है।

13. योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी और उन्हें इच्छित लाभ के भुगतान के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा?

राज्य में प्रचलित भूमि-स्वामित्व प्रणाली / रिकॉर्ड का उपयोग योजना लाभ के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमिधारी किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

14. लाभों के हस्तांतरण के लिए **CM-KAY** पोर्टल पर प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य जानकारी क्या है?

नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी / एसटी), आधार संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है, तो आधार नामांकन संख्या किसी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ आधार पर कब्जा करने वाले गांवों में पात्र लाभार्थी भूमिधारी किसान परिवारों का डेटाबेस तैयार करेगी) पहचान के प्रयोजनों के लिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य पहचान दस्तावेज), बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड। यद्यपि मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि उपलब्ध होने पर इसे अंकित जा सकता है ताकि मंजूरी / लाभ के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी का संचार किया जा सके।

15. एक जमीन धारक किसान के परिवार को कैसे पता चलता है कि उसका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल है?

अधिक पारदर्शिता और सूचना सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सूची पंचायतों में प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा, एसएमएस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी को लाभ के अनुमोदन की सूचना देंगे।

16. यदि लाभार्थियों की सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो पात्र लाभार्थी के लिए क्या उपाय उपलब्ध है?

ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है, वे अपना नाम जिले में लाभार्थी सूची में शामिल करने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

17. यदि परिवार की स्वामित्व 2 हेक्टेयर **(5 एकड)** तक है और परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम हैं, तो क्या वे लाभ के पात्र हैं?

हाँ। यदि भूमिहीन किसान परिवार के भीतर, खेती योग्य भूमि अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर होती है, तो ऐसे मामलों में, पात्रता के निर्धारण के लिए भूमि को जमा कर दिया जाएगा। भुगतान परिवार के उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास भूमि की उच्चतम मात्रा है। यदि दो या अधिक व्यक्तिगत सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा समान है, तो भुगतान को किसान परिवार में सबसे बड़े सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा।

18. यदि एक से अधिक भूमि स्वामित्व वाले किसान परिवार हैं, जिनके नाम 2 हेक्टेयर **(5 एकड)** से अधिक की एकल भूमि पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसानों में से प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमि 2 हेक्टेयर **(5 एकड)** या उससे कम है, तो क्या प्रत्येक किसान परिवार लाभ पाने के लिए पात्र है? यदि हां, तो ऐसे परिवारों को योजना के तहत मिलने वाले न्यूनतम वित्तीय लाभ की मात्रा क्या है?

ऐसे किसान परिवार योजना के तहत लाभ के लिए रु 5000/- की सीमा तक पात्र होगा बशर्ते वे योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हों।

19. क्या योजना के तहत मौद्रिक लाभ सीधे लाभार्थी खातों में जमा किया जाएगा**?**

हां**,** सहायता लाभ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

20. क्या लाभार्थियों के लिए अपने बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है**?**

हां**,** लाभार्थियों को अपने बैंक खाते का विवरण आधार संख्या के साथ प्रदान करना आवश्यक है ताकि योजना के तहत वित्तीय लाभ को सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा सके। यदि बैंक खाता विवरण प्रदान नहीं किया गया है तो कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

21. क्या आधार विवरण देना अनिवार्य है?

हां, चूंकि यह एक लाभार्थी उन्मुख योजना है, जो मौजूदा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में है, लाभार्थी की आधार संख्या अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी है। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मामले में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को आधार नामांकन संख्या प्रदान करना होगा।